production targets should be provided.

7. Inter-ministerial assistance to be assured.

8. Revival proposals prepared jointly by unions and managements should be considered.

9. Government should explore the possibilities of merger/amalgamation of sick units for their revival.

10. NRF should be utilised for redeployment/retraining.

11. State Government should also be engaged in the tripartite consultation.

12. There should be no closure or winding up of any unit.

13. Necessary budgetary support to the sick units should continue.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अतिक्रमण

6324. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अतिक्रमण किये जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान एस अतिक्रमण के मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों समुचित सरकारें हैं । समुचित सरकारों ने अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन करने के लिए प्रवर्तन तन्त्र का गठन किया है । अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के बारे में जब भी कोई सूचना उनकी जानकारी में आती है प्रवर्तन तन्त्र द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रभारी कार्यान्वयन करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राजस्व कल्याण आदि अन्य विभागों की सहायता से प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण करें ताकि जिलास्तरीय निगरानी समितियां गठित करने के लिए निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जा सके एवं मीडिया के माध्यम से अधिनियम के उपबन्धों का विस्तृत रूप से प्रचार भी करें ।

बाल नीति की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग

6325. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

श्री इकबाल सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाल नीति की जांच करने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का गठन कब तक कर दिया जायगा ;

(ग) क्या सरकार ने आयोग के विचारणीय विषयों का मसौदा तैयार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक संबंध विधेयक

6326. **श्री शारदा महन्तो :**
श्री सोमपाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक संबंधों के बारे में कोई संशोधन विधेयक लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक की मुख्य धारायें क्या-क्या हैं और उनके माध्यम से किन उद्देश्यों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है; और

(ग) इस विधेयक में मजदूरी वेतन को उत्पादकता से जोड़ने के लिये क्या प्रावधान किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अपेक्षित संशोधनों का प्रमुख बात अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में बढ़े हुए घरेलू और साथ ही साथ विदेशी निवेशों के प्रति विरोध करने वाले प्रतिबन्धी प्रावधानों को हटाना और कानूनों को कारगर बनाना है जिससे कि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने एवं रोजगार की वृद्धि करने के लिए औद्योगिक संबंधों में और अधिक सामंजस्य प्राप्त करने में सहयोग मिल सके ।

Increase growth rate of employment

6327. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what steps Government have taken so far in the direction of increasing growth rate of six to eight per cent as compared to 3.8 per cent recorded in 1993-94 for generation of more employment in the country;

(b) whether Government's attention has been drawn in this regard to World Bank's reported publication "Global Economic Prospects and the Developing Countries, 1994" as appeared in the 'Hindustan Times' dated 15.4.94 captioned "Third World to spur growth" as well as reported observation on India mode by the "Far Eastern Economic Review" in the same column; and

(c) if so, what is the reaction of Government towards the need for further increasing growth rate from the projected growth rate of five per cent and the steps taken so far in this regard in order to reduce increasing unemployment?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) In a medium term perspective of achieving near full employment by 2002 AD, the Eighth Five Year Plan envisaged employment growth of about 2.7 per cent per annum on an average during 1992—97 corresponding to a GDP growth of 5.6 per cent per annum. The rate of GDP growth during the initial years of economic reforms has been lower than annual average envisaged in the Plan. The newspaper article points out the inadequacy of the achieved rate of growth of 3.8 per cent during 1993-94 and emphasises the need of achieving a higher than 5 per cent rate of growth. The successful completion of the economic reforms is expected to lead the economy to a higher growth path enabling achievement of GDP growth and employment growth as envisaged in the Plan.